2012/00007

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कैम्प कोर्ट गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 15/2012

प्रार्थी

पारसमल पुत्र प्रभुलाल जाति ओसवाल निवासी पीपराली हाल गुड़ामालानी तहसील,गुड़ामालानी

बनाम्

अप्रार्थीगण

1.ग्राम पंचायत गुड़ामालानी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ामालानी
2.बाबुलाल पुत्र प्रभुलाल
3.ताराचन्द पुत्र प्रभुलाल
4.अशोक कुमार पुत्र प्रभुलाल
5.कांतिलाल पुत्र प्रभुलाल
जाति ओसवाल निवासी पीपराली तहसील गुड़ामालानी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर राजस्थान सत्यमेव जयते

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 589 दिनांक 30.08.2008 जो ग्राम पंचायत गुडामालानी द्वारा प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 02 से 05 के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः– 1.प्रार्थी अनुपस्थित
2.अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 04 उपस्थित
3.अप्रार्थी संख्या 03 व 05 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 30.05.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 बाबुलाल ने सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ामालानी के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर ग्राम गुड़ामालानी की आबादी भूमि पर प्रार्थी पारसमल,अप्रार्थी संख्या 02 से 05 बाबुलाल, ताराचन्द,अशोक कुमार,कांतिलाल पिसरान प्रभुलाल के नाम नियमानुसार शुल्क जमा कर पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत गुड़ामालानी ने पत्रावली कायम कर प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 02 से 05 के नाम नियम 157(2) के तहत संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.08.2008 के अनुसरण में पट्टा संख्या 589 दिनांक 30.08.2008 को जारी कर दिया। प्रार्थी का यह कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा की भूमि जरिये करार क्रय की है,जो प्रार्थी के स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि है जिस पर कब्जा प्रार्थी का है। प्रार्थी ने इस पट्टा विलेख की भूमि को अपने स्वामित्व व आधिपत्य की होने एंव नियम विरूद्ध जारी करना बताते हुए यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत गुड़ामालानी से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया।
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील बीएल रामावत ने दिनांक 10.04.2013 को जवाब पेश कर आवेदन पत्र के पद संख्या 01 से 05 गलत होने से अस्वीकार करते हुए प्रार्थी की निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।
4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट गुड़ामालानी में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी संख्या 01,02 व 04 उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 03 व 05 अनुपस्थित रहे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे।
5. .हमने अप्रार्थीगण को सुना। ग्राम पंचायत गुड़ामालानी से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने निगरानी में यह कथन किया कि वादगस्त भूखण्ड को उसने रिखबदास पुत्र सरदारमज जाति ओसवाल निवासी मांगता से जरिये करार के क्रय किया था जिस पर उसका बहैसियत मालिक की हैसियत से कब्जा चला आ रहा है। मगर इस कथन के सम्बन्ध में,उसका प्रमाण भार प्रार्थी पर था। प्रार्थी को यह साबित करना था कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेख की भूमि उसके स्वामित्व,आधिपत्य एंव विश्वसनीय है।मगर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त निगरानी से सम्बन्धित यह विवाद दीवानी प्रकृति का है और इस सम्बन्ध में पक्षकारान ने दीवानी विविध प्रकरण संख्या 34/12 व 37/12 बाबूलाल वगैरा बनाम पारसमल श्रीमान सिविल न्यायाधीश (क.ख.)में विचाराधीन होना बताया है। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु के निर्धारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीगण के पक्ष मे जारी पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी बाबुलाल ने प्रार्थी पारसमल एंव अप्रार्थी संख्या 02 से 05 के नाम भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। इस आवेदन पत्र पर नक्शा भी पेश किया गया हैं। जिस पर पत्रावली कायम की गई है। दिनांक 05.07.2008 को मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। जिस पर मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की हैं। मौका कमेटी ने नियम 146 के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ मे वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत नोटिस जारी किया हैं नोटिस के साया होने से

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है। तत्पश्चात् दिनांक 20.08.2008 को प्रस्ताव संख्या 2 पारित कर नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया गया हैं। इन नियमो के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप के अनुरूप ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ग्राम पंचायत गुड़ामालानी ने निर्धारित प्रकिया अपनाकर,नियमों में अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 02 से 05 संख्या के पक्ष में नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 589 दिनांक 30.08.2008 जारी किया है। इसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी सारहीन एंव आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प गुड़ामालानी में आज दिनांक 30.05.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर